

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या 12/55/2020 रजि० नम्बर 2020/00092 प्रवेश तिथि 02-11-2020 निर्णय दिनांक 22-02-2021

01- कैलाश चन्द पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्मण

02- बाबूलाल पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्मण

03- सुरेश पुत्र चिरंजीलाल ब्राह्मण निवासीयान ग्राम चुगलपुरा तहसील रैणी जिला अलवर।

—अपीलांट

बनाम

01- तहसीलदार रैणी, जिला अलवर।

—रैसपो

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रैणी दिनांक  
12.10.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 51/2020

उपस्थित:-

01-श्री हीरालाल

—वकील अपीलाण्ट

—निर्णय:-

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के आदेश दिनांक 12.10.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम चुगलपुरा की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.15 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रैसपो को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चुगलपुरा की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.15 है० पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.08.2020 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी वेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि० 12.10.2020 अपारत फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा दिनांक 27.10.2020 को विवादित आराजी पर दिनांक 26.08.2020 से पूर्व कब्जा छोड़ना बताया है तथा तहसीलदार रैणी द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित तीन माह की सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है तथा तहसीलदार रैणी को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलांट का वर्तमान में अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलांट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलांट के विरुद्ध धारा 91(6) के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22-02-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमलराम मीना)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)